<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254113 CG-DL-E-08052024-254113

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] No. 122] नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946 NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(महानिदेशक विदेश व्यापार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सार्वजनिक सूचना सं. 49/2023

विषयः एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक और सीपीसी विनिमार्ण उद्योग के लिए कच्चे पेट्रोलियम कोक के आयात के लिए वित्तीय वर्ष 2024—25 के आयात आबंटन की प्रक्रिया के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/22/एएम-23/पीसी-2(क)/ई-38642.—उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेश के तहत रिट याचिका संख्या 13029/1985 के माध्यम से पेट्रोलियम कोक से संबंधित कुछ मुद्दों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सौंप दिया है। आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 15.02.2024 को आदेश दिया कि 2024—25 के दौरान एल्युमीनियम उद्योग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) का आयात नहीं कर सकता है और कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक विनिर्माण इकाइयां 1.9 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कच्चे पेट्रोलियम कोक (आरपीसी) का आयात नहीं कर सकती हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आदेश के आलोक में अधिसूचना सं. 68/2023 दिनांक 07.03. 2024 के माध्यम से पेट्रोलियम कोक की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन किया गया। इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि ऐसे आयातों का विनियमन और निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू—18011/54/2018—सीपीए दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

2887 GI/2024 (1

- 2. उपर्युक्त के अनुसरण में और विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 ओर 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा वर्ष 2024—25 के लिए कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक और कच्चे पेट्रोलियम कोक के आयात हेतु आवंटन को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:
 - i. आयात में वार्षिक मात्रा की सीमा वित्तीय वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के आधार पर लागू होगी। तदनुसार, प्रति वर्ष आयात के लिए अनुमत कुल मात्रा (i) एल्युमीनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक के रूप में उपयोग हेतु 0.5 मिलियन मीट्रिक टन और (ii) सीपीसी विनिमार्ण उद्योग के लिए कच्चा पेट्रोलियम कोक 1.9 मिलियन मीट्रिक टन है।
 - ii. पूरा आवेदन 24 मार्च, 2024 को या उससे पहले ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है। सभी आवेदनों को डीजीएफटी की वेबसाइट पर सेवाओं → आयात प्रबंधन प्रणाली → प्रतिबंधित आयातों के लिए आयात प्राधिकार पत्र → नए प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, 'पेट कोक का आयात' के रूप में आयात श्रेणी के तहत प्रस्तुत करना अपेक्षित है। किसी अन्य श्रेणी के तहत प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।
 - iii. ऊपर उल्लिखित आयात आवंटन का लाभ उठाने के इच्छूक आवेदकों को सीएक्यूएम आदेश की तिथि अर्थात 14.02.2024 को संबंधित एसपीसीबी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपनी आरपीसी/सीपीसी प्रसंस्करण क्षमता का प्रमाण पत्र उत्पादन क्षमता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक वैध सीटीओ के साथ अपलोड करना होगा।
 - iv.इसके अलावा, आयात समय—समय पर यथा संशोधित आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत संबंधित आयात नीतिगत शर्तो और समय—समय पर यथा संशोधित दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 18011 / 54 / 2018—सीपीए द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देशों के अधीन होगा। आयात आवंटन के लिए आवंदन पर विचार करने के लिए उल्लिखित शर्तों का पैरा—वार अनुपालन करने के लिए एक विधिवत प्रमाणित वचन—पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
 - v. आरसीसी / सीपीसी के आयात के लिए सभी आवेदनों का मूल्यांकन उपरोक्त पैरा (ii) में उल्लिखित मात्रा के भीतर व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक के लिए आयात मात्रा समय—समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.48 के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार, एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) की सहायता और सलाह पर निर्धारित की जाएगी।
 - vi.जारी किया जाने वाला प्रतिबंधित आयात प्राधिकार—पत्र केवल 31.03.2025 तक वैध होगा। आयात 31.03. 2025 से पहले पूरा करना होगा, अर्थात इस तिथि से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी होनी चाहिए।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

वर्ष 2024–25 हेतु एल्यूमीनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक और सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट्रोलियम कोक के आयात के लिए मात्रा के आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया जाता है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

Public Notice No. 49/2023

Subject: Procedure for Import Allocation for the Financial Year 2024-25, for import of Calcined Pet Coke for Aluminium Industry and Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry - reg.

F. No. 01/89/180/22/AM-23/PC-2[A] /E-38642).—It is submitted that the Hon'ble Supreme Court in the Writ Petition no. 13029/1985 vide its order dated 10th October 2023, has delegated certain issues related to pet coke to the Commission for Air Quality Management. The Commission in compliance of the directions of the Hon'ble Supreme court vide its order dated 15.02.2024 decreed that Aluminium industry can import Calcined Pet Coke(CPC) not exceeding 0.5 Million MTs and Calcined Pet coke manufacturing units can import Raw Pet Coke(RPC) not

exceeding 1.9 Million MTs during 2024-25. In light of the order of the Commission for Air Quality Management, the import policy condition of Pet Coke was amended vide Notification no.68/2023 dated 07.03.2024. Herein it has also been indicated that the regulation and monitoring of such imports will be as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate change issued vide OM no. Q-18011/54/2018-CPA dated 10th September, 2018.

- 2. Pursuant to the above and in exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the procedure to implement the allocation for import of CPC and RPC for year 2024-25, as under:
 - i. The annual quantity limitation in import will be operated on financial year basis i.e. 01.04.2024 till 31.03.2025. Accordingly, the total quantity permitted for import per annum by is (i) CPC for use in Aluminium industry is 0.5 Million MTs and (ii) RPC for CPC manufacturing industry is 1.9 Million MTs.
 - ii. Completed application is required to be submitted online **on or before 24th March, 2024.** All applications are required to be submitted on the DGFT Website under Services → Import Management System → Import Authorisation for Restricted Imports → Apply for New Authorisation, under Import Category as 'Import of Pet Coke'. Applications submitted under any other Category are liable to be rejected.
 - iii. Applicants desiring to avail import allocation as mentioned above, shall upload a certificate of their RPC/CPC Processing capacity duly certified by the SPCB concerned as on the date of the CAQM Order i.e. 14.02.2024, along with a valid CTO clearly stating the production capacity.
 - iv. Further, Imports will be subject to relevant Import Policy conditions under Chapter 27 of Schedule-I(Import Policy), ITC(HS) 2022, as amended from time to time, and guidelines laid down by MOEF&CC vide OM no. Q-18011/54/2018-CPA dated 10th September, 2018 and as amended from time to time. A duly certified undertaking for para-wise compliance with the stated conditions shall be submitted along with for consideration of application for import allocation.
 - v. All applications for import of RPC/CPC will be assessed individually, within the total quantities stated at para (ii) above. The import quantity for each applicant will be determined on the assistance and advice of the Exim Facilitation Committee(EFC), in accordance with the procedures under Para 2.48 of the Handbook of Procedures(HBP) 2023, as amended from time to time.
 - vi. The Restricted Import Authorisation to be issued shall be valid till 31.03.2025 only. Imports have to be completed before 31.03.2025 i.e. consignments must be cleared by custom authorities before this date.

Effect of the Public Notice:

The Procedure for allocation of quantities for import of Calcined Pet Coke for use in Aluminium Industry; and Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry for the year 2024-25 is notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.